निविदा प्रपत्र

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनांतर्गत प्रशिक्षण हेतु उच्चगुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन

कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर
विकास भवन, तहसील कार्यालय के पास, जबलपुर {म0प्र0}
फोन नं. 0761–2624860, फैक्स 0761–2624353

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक/ /एसजीएसवाय/2011 जबलपुर दिनांक

जिला पंचायत जबलपुर द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनांतर्गत जिले के स्वरोजगारियों को अगरबती निर्माण, रेडीमेड कपड़ा निर्माण, बीज उत्पादन, मुर्गीपालन, मोटर ड्राईविंग, मौटर मैकेनिक ट्रेड एवं अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण देने हेतु अनुभवी व बाईबैक {उत्पादित सामग्री क्रय}/ रोजगार सुनिश्चित करने वाले उच्चगुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण संस्थाओं से अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है । अर्हता संबंधी विस्तृत निविदा सूचना जानकारी वेवसाइड **www.zpjabalpur.nic.in** पर एवं अक्टूबर माह के ग्रामीण भारत पात्रिका एवं जिला पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित है। प्रस्ताव दिनांक **07.12.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे तक** प्रस्तुत कर सकते है । निविदा आवेदन जिला पंचायत से राशि रू. 200/– भुगतान जमा कर प्राप्त कर सकते है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक /एसजीएसवाय/11 जबलपुर दिनांक / /2011

जिला पंचायत जबलपुर द्वारा स्वंर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिले के स्वरोजगारियों को अगरवत्ती निर्माण, रेडीमेड कपड़ा निर्माण, बीज उत्पादन, मुर्गी पालन, मोटर ड्राईविंग मोटर ट्रेड अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण देने हेतु अनुभवी व बायबैक (उत्पादित सामग्री क्रय) रोजगार सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं से अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है, जिसमें नि.लि. शर्ते अनिवार्य है :–

1. निविदा मे पृष्ठ क्रमांक अंकित एवं समस्त दस्तावेज स्व हस्ताक्षरित होने चाहिये ।
2. निविदादाता के कम्पनी होने की स्थिति मे इस आशय का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति । निविदादाता के निगम या एसोसिएशन होने पर इस आशय का प्रमाण पत्र । निविदादाता सोसायटी हो तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति या यदि निविदादाता निगम है तो मूल विधि की प्रमाणित प्रति । ट्रस्ट होने की स्थिति मे ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति होना अनिवार्य है ।
3. प्रबंध कार्यकारणी की सत्यापित प्रति लिपि अद्यतन (धारा 27 की जानकारी)
4. धारा 28 की जानकारी (आडिट रिपोर्ट) विगत 3 वर्षो की अद्यतन (वर्ष 2009 –10, 2010–11, 2011–12) जिसमें गतिविधिवार प्रतिवर्ष 2.00 लाख का टर्नओवर अनिवार्य है, एवं 3 वर्ष का रिर्टन फाइल किया गया हो।
5. पेन कार्ड नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
6. 12–ए जो आमदनी होगी वह आयकर से मुक्त होगी।
7. पंचायत एवं ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण देने का अनुभव 3 वर्ष का अनुभव एवं उसी ट्रेड में जिसके लिये आवेदन किया गया है।
8. मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित, प्रशिक्षको की सूची भी संलग्न करना अनिवार्य है। यह अभिप्रमाणित होना चाहिये ।
9. प्रस्ताव दिनांक ***07.12.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे तक*** जमा किया जावेगा । निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त किसी पर भी प्रस्ताव पर विचार नही किया जावेगा ।
10. निविदा आवेदन पत्र जिला पंचायत कार्यालय से राशि रू. 200 (दो सौ मात्र) जमा कर प्राप्त किये जा सकते है ।
11. निविदा आवेदन पत्र के साथ सभी संलग्न शर्ते मान्य करनी होंगी ।
12. प्रतिभूति राशि **5000/–** का ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर के नाम स्थानीय बैंक शाखा में भुगतान योग्य जमा करना अनिवार्य होगा ।

उक्त निविदा जिला पंचायत की वेबसाईट www.zpjabalpur.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध हैं ।

पत्राचार का पता :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत विकास भवन, तहसील कार्यालय जबलपुर, के पास
अम्बेडकर चौक जबलपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर

भाग –2

निविदादाताओं के मार्गदर्शन हेतु निर्देश

1. निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी / निर्देश निविदादाताओं की जानकारी हेतु दिये जाते है । निविदा इन्ही निर्देशों के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत की जाये ।
2. निविदायें केवल निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की जावें ।
3. निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक .... में दर्शायी गई दिनांक तक कार्यालयीन समय में क्रय किये जा सकते है ।
4. निविदा प्रपत्र का **मूल्य 200/–** है जिसका भुगतान नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में किया जा सकता है । बैंक ड्राफ्ट **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर** को देय एवं स्थानीय बैंक की शाखा पर भुगतान योग्य होना चाहिये ।
5. निर्धारित अमानत राशि {ईएमडी} बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत की जावे। बैंक ड्राफ्ट **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर** को देय एवं स्थानीय बैंक शाखा पर भुगतान योग्य होना चाहिये । बिना अमानत राशि के निविदायें स्वीकार नही की जायेगी ।
6. एक फर्म / व्यक्ति द्वारा एक ही निविदा प्रस्तुत की जाये । ऐसी दो फर्म/संस्था जिनमें एक भी पाटर्नर कामन है पृथक–पृथक निविदायें प्रस्तुत नही कर सकेगा । यदि ऐसा करते है तो दोनों निविदायें अमान्य कर दी जायेगी ।
7. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी । इस बीच निविदादाता द्वारा आफर वापस लेने पर ईएमडी जप्त कर ली जायेगी तथा भविष्य में निविदा में भाग नही ले सकेगें ।
8. निविदायें निम्नानुसार प्रस्तुत की जाये :–

   लिफाफा {अ} में ईएमडी

   लिफाफा {ब} तकनीकी आफर

   लिफाफा {स} वित्तीय आफर

   उपरोक्त सभी लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर सीलबंद कर प्रस्तुत किये जावें जो **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर** को संबंधित हो । लिफाफे में भेजने वाले का नाम, पता तथा अंदर रखे लिफाफों का विवरण अंकित होना चाहिये । लिफाफे पर निविदा

सूचना क्रमांक दिनांक तथा ''**स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का चयन**'' स्पष्ट रूप से लिखा जाये । {नोट :– प्रत्येक लिफाफे बंद होने चाहिये तथा उसके ऊपर अंदर क्या है लिखा होना चाहिये यथा ईएमडी/तकनीकी आफर/वित्तीय आफर}

9. तकनीकी आफर

एजेंसी की तकनीकी / व्यावसायिक क्षमता के आंकलन हेतु जानकारी निविदा के लिये निर्धारिप प्रपत्र–I, II, III के साथ साथ चाहे गये समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ दी जाये। तकनीकी आफर के साथ निविदा प्रपत्र भी {वित्तीय आफर छोड़कर} प्रस्तुत किया जाये।

10. वित्तीय आफर

वित्तीय आफर संलग्न प्रपत्र–IV में प्रस्तुत किया जाये । वित्तीय आफर की दरें निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जायें जिसमें समस्त व्यय व कर सम्मिलित होना चाहिये । आफर के साथ निविदा हेतु निर्धारित घोषणा पत्र भी पूर्ण कर प्रस्तुत करें । यह ऑफर संपूर्ण जबलपुर जिले की सीमा के लिये मान्य होगा ।

{नोट :– सभी आंकड़ो / जानकारी हेतु प्रमाणित दस्तावेजो की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है}

11. निविदा स्वीकृति

बिना कारण बताये निविदा प्रक्रिया/निविदा, स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर** को होगा । इस संबंध में कोई पत्राचार नही किया जायेगा ।

12. निविदा खोलने की प्रक्रिया

निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष में निविदा सूचना में दी गई तिथि पर खोली जायेगी। सर्वप्रथम लिफाफा ''अ'' खोला जायेगा । **''ईएमडी''** सही पाये जाने पर ही तकनीकी आफर खोला जायेगा । तकनीकी आफर के आधार पर निविदादाता को कार्य संपादन हेतु सक्षम पाये जाने पर ही उसका वित्तीय आफर निर्धारित तिथि पर खोला जायेगा । जो निविदादाता तकनीकी रूप से सक्षम सही पाये जावेगे उनकी ईएमडी व वित्तीय आफर बगैर खोले वापस कर दिये जायेगें । तकनीकी क्षमता के मूल्याकंन हेतु प्रपत्र–I व प्रपत्र–II में पूर्ण जानकारी दी जावे ।

13. **अमानत राशि की वापसी**

जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी उनकी अमानत राशि 30 कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी ।

14. यदि संस्था किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण चाहती है तो निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पांच कार्य दिवस पूर्व तक लिखित मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से जानकारी ले सकती है।
15. एक बार निविदा जमा हो जाने के पश्चात संस्था द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों के आंकडों में कोई भी परिवर्तन मान्य नही होगा।
16. जिला पंचायत जबलपुर किसी भी समय किसी भी अघोषित कारण से निविदा आमंत्रण की नियत तिथि बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ा सकता है ।
17. यदि निविदा जमा करने वाली संस्था निर्धारित प्रारूप के अलावा कोई अन्य जानकारी देना चाहती है जिसके लिए प्रपत्र में स्थान नियत नही है तो अतिरिक्त शीट का उपयोग कर सकती है । ऐसी अतिरिक्त शीट में उल्लेखित जानकारी को स्वीकार करने की बाध्यता जिला पंचायत की नहीं होगी ।
18. निविदा जमाकर्त्ता निविदा दस्तावेज की समस्त शर्तो, प्रारूपो, आर्हताओ के बारे मे जानकारी ले ले । निविदा दस्तावेज की किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा वांछनीय जानकारी प्रस्तुत न करने की दशा मे निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

भाग–3

संदर्भ शर्ते

योजना की संक्षिप्त जानकारी

1.1 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवारत् गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के वयस्क युवक/युवतियों को योजनांतर्गत स्वसहायता समूह के रूप में गठित कर उनको स्वरोजगार स्थापित करने के उद्‌देश्य से उनकी क्षमता के विकास हेतु कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण से प्रशिक्षित स्वरोजगारियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, कच्चामाल उपलब्ध कराकर उत्पादित सामग्री का बायबैक कराकर रोजगार उपलब्ध कराने, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कराया जाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्य किया जाता है।

1.2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं से आधारभूत, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिलाने का प्रावधान है प्रत्येक स्वरोजगारियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थापित करने हेतु क्षमता विकास पर रू. 5000/– तक व्यय कराने का प्रावधान है ।

ऑफर, आमंत्रण का उद्‌देश्य

2.1 जिले मे लगभग 1,48,000 बी.पी.एल.परिवार ग्रामीण क्षेत्रों मे निवासरत है । इन परिवारों के वयस्क युवक युवतियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं से प्रशिक्षण दिलाये जाने का निर्णय लिया गया है । संस्थाओं के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाना है कि ऐसी संस्थाओं का चयन किया जावे जो प्रशिक्षण पश्चात किसी संस्थान के माध्यम से रोजगार दिला सकें या वे कच्चामाल उपलब्ध कराकर उत्पादन करावें एवं उत्पादित वस्तुओं को उचित मूल्य पर क्रय कर उनके लिये आय का साधन विकसित कर सकें ।

एजेंसी/संस्था से अपेक्षित कार्य

3.1 एजेंसी/संस्था जो किसी ट्रेड में उत्पादन कार्य करती हैं या जिनका किसी उत्पादन इकाई/उद्योग घराने से एम.ओ.यू. है, बी.पी.एल.परिवार से वयस्क युवक युवतियों को संस्था द्वारा की जा रही उत्पादन गतिविधियों को प्रशिक्षण देंगे ।

3.2 प्रशिक्षण का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में प्रावधानित अनुसार जिला पंचायत द्वारा संस्था को प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

3.3 प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों का चयन जनपदों द्वारा किया जाकर संस्था को उपलब्ध कराया जावेगा।

3.4 प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को रहने, प्रशिक्षण हेतु भूमि भवन, मशीन उपकरण, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण सामग्री आदि की संपूर्ण व्यवस्था संस्था को करनी होगी ।

3.5 प्रशिक्षकों के योग्यता एवं अनुभव का पृथक–पृथक विवरण तकनीकी प्रस्ताव देना होगा ।

3.6 प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों को निरीक्षण का संपूर्ण अधिकार होगा ।

3.7 प्रशिक्षकों का मानदेय/बीमा एवं अन्य जिम्मेदारियां संस्था की होगी । जिला पंचायत से सीधे मानदेय आदि की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

3.8 चयनित संस्था को प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ करने की सूचना के एक सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण प्रारंभ करना होगा ।

3.9 प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित स्वरोजगारी को संस्था द्वारा अपने उत्पादन इकाई में रोजगार देना होगा या कच्चा माल उपलब्ध कराकर उचित मूल्य पर उत्पादित वस्तुओं का बायबैक करना होगा। संस्था ऐसी संस्थाओं में भी इन्हे रोजगार या इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय कर सकती हैं जिनसे प्रशिक्षण संस्था का एम.ओ.यू. हो । इसका विवरण प्रशिक्षण संस्था तकनीकी प्रस्ताव मे देगी ।

3.10 संस्था का पिछले तीन वर्षों में कम से कम 2.00 लाख रूपये का प्रशिक्षण का टर्न ओवर होना आवश्यक होगा । जिसका उल्लेख अंकेक्षित आडिट रिपोर्ट मे होना चाहिए ।

3.11 संस्था जिस ट्रेड के लिए आवेदन कर रही है उसी ट्रेड में उसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रशिक्षण देने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा ।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं का पालन न करने की स्थिति में जिला पंचायत द्वारा 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार जिला पंचायत को होगा एवं सेवा मे कमी मानते हुए भविष्य मे विवाद द्वारा संस्था को कोई कार्य नही दिया जावेगा ।

भाग –4

निविदा की अन्य शर्ते

1. जिस निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हे स्वीकृति सूचना प्राप्ति के दिनांक से 10 दिन के अंदर अनुबंधित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कर अनुबंध करना होगा। ऐसा न करने पर अमानत राशि {ईएमडी} जप्त कर ली जायेगी । प्रतिभूति राशि एफडीआर के रूप में जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जबलपुर को देय हो के रूप में स्वीकार की जायेगी। निविदादाता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने के पश्चात ईएमडी वापस कर दी जायेगी । प्रतिभूति राशि समस्त कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के 3 माह पश्चात वापस की जायेगी । एजेंसी द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने / संपादित न करने की स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी तथा एजेंसी भविष्य में अयोग्य मानी जायेगी ।
2. **कार्य की समयावधिः–** समस्त कार्य कार्यादेश/अनुबंध में उल्लेखित समयावधि में पूर्ण करना है ।
3. **भुगतान :–** प्रशिक्षण कार्य का भुगतान कार्य जनपद पंचायत द्वारा कार्य के संतोषजनक निष्पादन के प्रमाणीकरण अनुमोदन के पश्चात ही किया जायेगा ।
4. **बिलंब के लिये पैनाल्टी :–** कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने की स्थिति में रू. 1000/– प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी वसूल की जायेगी । जिसकी अधिकत्तम सीमा अनुबंधित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर होगी । 30 दिन से अधिक बिलंब होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकता है । **समयवृद्वि देने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर** को होगा जो गुण दोष के आधार पर निर्णय लेंगे ।
5. **अनुबंध निस्स्तीकरण :–** कंस्लटेन्ट / एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य न करने या अनुबंध की किसी धारा को उल्लंघन करने पर 15 दिन का नोटिस पर अनुबंध समाप्त करने का **अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर** को होगा । कंस्लटेन्ट एजेंसी व जिला पंचायत, जबलपुर के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद/वाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निराकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा जो अपना निर्णय 30 दिन में देगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय दोनो पक्षों पर बंधनकारी होगा ।
6. निविदा जमाकर्त्ता निविदा दस्तावेज की समस्त शर्तो, प्रारूपो, आर्हताओ के बारे मे जानकारी ले ले। निविदा दस्तावेज की किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा वांछनीय जानकारी प्रस्तुत न करने की दशा मे निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
7. यह कार्यालय निविदा जमा होने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं अथवा किसी निविदादाता द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण के तारतम्य में निविदा दस्तावेज संशोधित कर सकता है ।

8. ऐसा कोई भी संशोधन उस तिथि तक जमा किये गये समस्त निविदा जमाकर्ता को लिखित मे सूचित किया जावेगा एवं ऐसा संशोधन सभी विडर्स पर वंधनकारी होगा। इस आशय की सूचना जिला पंचायत की वेवसाइड www.zpjabalpur.nic.in पर दी जावेगी ।

9. ऐसी कोई भी कार्यवाही जो –आपराधिक या भृष्टाचार की प्रवृत्ति को जन्म देती हो जो निविदा को किसी भी रूप मे प्रभावित करती हो अथवा स्वच्छ प्रतियोगिता को समाप्त करती हो मान्य नही होगी। ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलने पर निविदा प्रक्रिया के दौरान अथवा अनुबंध के निष्पादन के दौरान ही बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त निविदादाता की निविदा, निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दी जायेगी ।

10. निविदा जमाकर्त्ता द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात् उसे प्रभावित करने के उद्वेश्य से इस कार्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से तत्संबध मे मिलना मान्य नही होगा। निविदा जमाकर्ता द्वारा की गई ऐसी कोई भी गतिविधियो के फलस्वरूप उसके द्वारा जमा निविदा बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त मानी जावेगी ।

11. इस कार्यालय को मूल्य से संबधित किसी भी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संबधित निविदादाता से स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होगा । यदि यह प्रतीत होता है कि निविदा मे दिया गया मूल्य तर्कसंगत एवं व्यवहारिक नही है तो इस कार्यालय को, बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसी निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा ।

12. निविदा प्रतिभूती पर किसी भी तरह का ब्याज देय नही होगा ।

13. निविदा हेतु चयनित नही किये जाने वाले निविदादाता को प्रतिभूती की राशि 30 कार्यदिवस के भीतर वापस कर दी जावेगी । यदि कोई निविदादाता अंतिम रूप से चयनित होता है तो अनुबंध हस्ताक्षरित होने के 30 कार्य दिवस के भीतर उसकी प्रतिभूती की राशि वापस की जावेगी ।

14. इस कार्यालय द्वारा निम्न लिखित मे से किसी भी दशा मे बिना किसी पूर्व सूचना के निविदादाता द्वारा जमा की हुई प्रतिभूती राशि का कोई भाग अथवा राशि पूर्व रूपेण जप्त कर लिया जावेगा :–

    (अ) यदि किसी निविदादाता द्वारा उसके द्वारा जमा निविदा फार्म की निवदा वैधता के पूर्व निविदा वापस ले ली जावे ।

    (ब) इस कार्यालय से चाहे गये किसी स्पष्टीकरण पत्र का उत्तर निविदादाता द्वारा न दिये जाने पर ।

    (स) निविदादाता द्वारा निविदा प्रक्रिया मे सहयोग न किये जाने पर ।

    (द) चयनित निविदादाता के संबध मे यदि निविदादाता :–

    - निर्धारित समय मे अनुबंध हस्ताक्षर नही करता है ।
    - इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशो का पालन नही करता है अथवा चाही गई जानकारी प्रदान नही करता है ।

15. निविदा जमा करने मे यदि कोई भी लिफाफा सील बंद नही पाया जाता है तो निविदादाता द्वारा जमा की गई जानकारी अथवा दस्तावेजो की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का नही होगा ।
16. निविदा खोलने की प्रक्रिया के दौरान निविदादाता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि इस कार्यवाही मे सम्मिलित हो सकेगा। इस दौरान उसे उपस्थिति पंजी मे हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा ।
17. यह कार्यालय न्यूनतम मूल्य देने वाले किसी निविदादाता की निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होगी। उस निविदादाता की निविदा अंतिम रूप से चयन के लिए स्वीकार होगी जो अधिकतम तकनीकी क्षमता एवं प्रस्तावित मूल्य के सामंजस्य पर उच्चतम हो। सभी निविदादाता को यह जानना आवश्यक है कि उनकी निविदा का कोई भाग अथवा पूरी निविदा अंतिम रूप से चयन हेतु निगोसिएशन के दायरे मे आयेगी ।
18. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता को इस कार्यालय द्वारा लिखित मे सूचना दी जावेगी ऐसी सूचना की प्राप्ति के दस दिवस के भीतर अनुबंध को हस्ताक्षर कर निविदादाता को इस कार्यालय मे जमा करना होगा। ऐसा न करने की दशा मे यह कार्यालय, सूची मे अगले स्थान पर आये निविदादाता के साथ अनुबंध करने हेतु स्वतंत्र होगा ।
19. यह कार्यालय यह अनुबंध किसी भी एक अथवा एक से अधिक निविदादाता के साथ अनुबंध करने हेतु स्वतंत्र होगा इस हेतु किसी की अनुमति अथवा सहमती लेना आवश्यक नही होगा ।
20. निविदा दस्तावेज अथवा अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने की दशा मे संबधित एजेंसी से उस तिथि तक किसी भी मद मे दी गई राशि पूर्णतः अथवा अंशतः इस कार्यालय द्वारा वापस ले ली जावेगी ।
21. यह अनुबंध अगले एक वर्ष हेतु होगा। इस दौरान जब प्रशिक्षण प्रारंभ किया जावेगा तभी चयनित एजेसी को कार्य दिया जावेगा । तत्कालीन परिस्थितियो मे यदि इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस नही होती है तो यह कार्यालय अंतिम रूप से चयनित एजेसी को कार्य देने के लिए वाध्य नही होगी ।
22. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाये यथा– फर्नीचर, उपकरण इत्यादी की व्यवस्था संबधित एजेसी को करना अनिवार्य होगा ।
23. चयनित एजेसी प्रशिक्षण हेतु कुशल एवं उन्नत प्रशिक्षको का ही उपयोग करेंगी। इसके लिए इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का पालन अनिवार्य होगा ।
24. अंतिम रूप से चयनित एजेंसी को प्रशिक्षुओ को **''बाय बैक''** की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा। इस प्रशिक्षण का उद्वेश्य प्रशिक्षण के दौरान एवं उसके उपरांत तैयार किये गये माल को बाजार मे विकी हेतु उपलब्ध कराना ही है । ऐसी समस्त व्यवस्थाये संबधित एजेसी को ही करना अनिवार्य होगा ।

25. इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षको को किसी भी प्रकार का मानदेय नही दिया जावेगा परन्तु इस हेतु आवश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु यह कार्यालय स्वतंत्र होगा ।

26. चयनित एजेन्सी इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित की गई तिथि को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रारंभ कर देगी। ऐसी सभी सेवाये इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर निगरानी की जावेगी।

27. निविदादाता द्वारा समस्त पत्र व्यवहार, जानकारी, अनुबंध गोपनीय रखा जावेगा इस कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा कोई भी दस्तावेजन निविदादाता द्वारा पब्लिश नही किया जावेगा ।

28. निविदादाता को इस कार्यालय की अनुमति के बिना अपना अनुबंध हस्तांतरित करने का अधिकार नही होगा।

<u>30. अनुबध निरस्त होने की दशाये</u>

निम्न लिखित मे से किसी भी एक अथवा एक से अधिक शर्तो का निविदादाता द्वारा उल्लंघन करने पर इस कार्यालय द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा :–

1. निविदा जमाकर्त्ता द्वारा इस कार्यालय की अनुमति के बिना कोई प्रशिक्षण प्रारंभ करना अथवा रोक दिया जाना ।
2. टेण्डर दस्तावेज अथवा अनुबंध मे उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंधन होने पर ।
3. निविदा जमाकर्त्ता के दीवालिया होने पर ।
4. किसी गलती/अनियमितता को सुधारने हेतु इस कार्यालय द्वारा नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी निश्चित समय सीमा मे निविदादाता द्वारा सुधार न किये जाने पर

नोट :–यदि किसी निविदा जमाकर्त्ता का अनुबंध ऐसी दशाओ मे समाप्त किया जाता है तो उसके द्वारा किये गये कार्य के भुगतान हेतु यह कार्यालय तत्कालीन परिस्थितियो मे निर्णय ले सकेगा भुगतान हेतु यह कार्यालय बाध्य नही होगा ।

31 निविदा खोलने तिथि 07.12.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे नियत है ।

कार्यालय जिला पंचायत जबलुपर

निविदा सूचना क्रमांक/   /एसजीएसवाय/2011   जबलपुर दिनांक

निविदा अभिलेख जाारी करने का प्रपत्र

1. संस्था का नाम :– –
2. संस्था/फर्म का नाम जिसे फार्म जारी किया गया है:– –
3. आवेदन फार्म का मूल्यः– 200/– {दो सौ रूपये मात्र}
4. फार्म जारी करने का क्रमांक – – – – – – – – –दिनांक :– – – – – – – – – – – – –
5. प्रतिभूति की राशि – – – – – – – – – –

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

लिफाफा ''अ'' मे रखने वाली बयाने की राशि का विवरण

मैं/हम, संस्था का नाम एवं पता.. निविदा सूचना क्रमांक..मे उल्लेखित ....ट्रेड में प्रशिक्षण संस्था के रूप मे चयन के लिए रू 5000(पांच हजार रूपये मात्र) का एफडी क्रमांक.. दिनांक........................जो कि..बैंक द्वारा जारी किया गया है, संलग्न करता हूं/करते हैं ।

दिनांक......................

संस्था/फर्म के अधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर व नाम

लिफाफा ''ब''

संस्था द्वारा प्रस्तुत किये जाना वाला तकनीकी प्रस्ताव

1	प्रशिक्षण का ट्रेड	
2	संस्था की सामान्य जानकारी	प्रारूप I के अनुरूप संलग्न करें ।
3	संस्था का अनुभव	प्रारूप II के अनुरूप संलग्न करें ।
4	संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्य हेतु अपनाये जाने वाले कार्य योजना का विवरण	प्रारूप III के अनुरूप संलग्न करें ।
5	संस्था वित्तीय क्षमता की जानकारी	संस्था की पिछले तीन वर्षों की चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा अंकेक्षित बैलेंस शीट, लाभ हानि विवरण एवं पूंजी उपलब्धता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2011 की स्थिति में ।
6	संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम टेलीफोन नं. आदि	संस्था द्वारा अधिकृत किये जाने संबंधी पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।

संस्था/फर्म विवरण के लिये अलग से पृष्ठ संलग्न कर सकते है । सभी पृष्ठों पर संस्था/फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिये । संस्था उपरोक्त के अलावा कोई अन्य विवरण/ सूचना देना चाहे, तो भी संलग्न {हस्ताक्षर युक्त} कर सकते है ।

दिनांक......................................

संस्था/फर्म के अधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर व नाम

प्रारूप – I

संस्था की सामान्य जानकारी

1	प्रशिक्षण संस्था / एजेंसी का नाम	
2	प्रशिक्षण संस्था का स्वामित्व का विवरण(प्रोपराईटरशिप, पार्टनरशिप, सहकारी संस्था, एनजीओ संस्था, फर्म कंपनी आदि)	
3	संस्था का पंजीयन क्रमांक	
4	संस्था का स्थायी पता	
5	संस्था का टेलीफोन नंबर	
6	संस्था का फैक्स नंबर	
7	संस्था का ई–मेल पता	
8	संस्था का स्थानीय आफिस का पता	
9	संस्था का टेलीफोन नंबर	
10	संस्था का फैक्स नंबर	
11	संस्था का ई–मेल पता	
12	संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, टेलीफोन नंबर आदि	
13	संस्था का आयकर चुकता प्रमाण पत्र का विवरण	
14	संस्था के कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं अमले का संक्षिप्त विवरण	

संस्था / फर्म के अधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर व नाम

प्रारूप – II

पिछले 3 वर्षों में संस्था/फर्म द्वारा इसी प्रकार की सेवा कार्य निष्पादन करने के पूर्वानुभव का प्रपत्र

स. क्रं.	प्रशिक्षण कार्य का नाम	कार्यादेश जारी करने वाली संस्था का नाम तथा पता	प्रशिक्षण कार्य के लिए प्राप्त शुल्क	प्रारंभ करने का दिनांक	पूर्ण करने का दिनांक	क्या कार्य संतोषप्रद रूप में पूर्ण किया गया।
1	2	3	4	5	6	7

टीप :– कृपया अभिलेखीय सबूत के रूप में नियोक्ताओं द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

दिनांक.......................................

संस्था/फर्म के अधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम, पता

प्रारूप – III

प्रशिक्षण के लिये अपनाई जाने वाली कार्य योजना का विवरण

अ. संस्था के वर्तमान क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण

1	प्रमुख प्रशिक्षण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	

ब. परियोजना प्रस्ताव(प्रत्येक ट्रेनिंग कार्यक्रम का पृथक पृथक)

1	प्रस्तावित प्रशिक्षण जिले के किस जनपद हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।	
2	प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र का पता	
3	प्रस्तावित प्रशिक्षण मे सिखाये जाने वाले कौशल का संक्षिप्त विवरण	

स. प्रशिक्षण सत्र का विवरण

1	प्रति सत्र प्रशिक्षण अवधि	
2	सत्र का आकार(प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	
3	पूर्ण वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या	

द. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक भौतिक सुविधाओं का विवरण

1	आवश्यक प्रशिक्षण भवन(वर्ग फुट में)	
2	भवन का प्रकार(स्वयं का/किराये पर/अन्य)	
3	प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण का विवरण	
4	उपकरण का विवरण(स्वयं का/किराये पर/अन्य)	
5	प्रति सत्र लगने वाले अन्य वस्तुओं का विवरण (स्टेशनरी/टेबल/कुर्सी)	
6	प्रशिक्षणार्थियों हेतु रूकने की व्यवस्था का विवरण	

इ. प्रशिक्षण माडयूल एवं प्रशिक्षार्थियों का विवरण

<table>
<tr><td>1</td><td>प्रशिक्षण माडयूल</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रशिक्षक का विवरण(नाम, योग्यता, अनुभव सहित)</td><td><table><tr><th>क्रं.</th><th>नाम</th><th>योग्यता</th><th>अनुभव</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

फ. ट्रेनिंग के पश्चात उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधाओं का विवरण

1	प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई	
2	प्रशिक्षित स्वरोजगारियेां को कच्चा माल उपलब्ध कराकर उत्पादित वस्तुओं के क्रय की व्यवस्था की गई ।	
3	क्या किसी रोजगार देने वाली संस्था से प्रशिक्षित व्यक्ति को रोजगार दिये जाने हेतु अनुबंध की व्यवस्था है ।	

संस्था/फर्म के अधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम, पता

लिफाफा ''स''

प्रपत्र – IV वित्तीय ऑफर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

विषयः स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु संस्था के चयन की दरों के संबंध में।

संदर्भः निविदा सूचना क्रमांक.......................................दिनांक..

उपरोक्त निविदा सूचना के संदर्भ में मैं निविदा शर्तों एवं संदर्भ शर्तों के अंतर्गत निविदा प्रपत्र के अनुसार प्रशिक्षण हेतु समस्त व्यय एवं टैक्स सहित दरें प्रस्तुत करता हूं :–

क्रं.	विवरण	समस्त व्यय एवं टैक्स सहित दर	
		प्रति दिवस/प्रति प्रशिक्षणार्थी	40 प्रशिक्षणार्थी के एक सत्र हेतु
1	ट्रेड में कौशल उन्नयत प्रशिक्षण (एक समय चाय, दोपहर का भोजन, शाम की चाय सहित)		
2	ट्रेड में आवासीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण(सुबह का जलपान, चाय, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, रात्रि का भोजन, आदि की व्यवस्था के साथ)		
3	प्रति प्रशिक्षणार्थी रोजगार/स्वरोजगार उत्पादन कराने की दर		

संलग्न : घोषणा पत्र

संस्था/फर्म के अधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम, पता

घोषणा पत्र

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी जानकारी सत्य है।

2. मैं/हम अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए पूर्ण करेंगे तथा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे जिससे योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

3. मैं/हमें निविदा दस्तावेज की समस्त शर्तें मान्य हैं ।

स्थान :
दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम एवं पता :
मोबाईल नं.